

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष- 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स- 0755- 2555162
E-Mail : ceomplok09@gmail.com, Website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 1/2013/3/2582

भोपाल, दिनांक 17-4-2012

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त मध्य प्रदेश

विषय:- 15 अप्रैल से 31 मई 2012 तक डोर टू डोर सर्वे -सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के संबंध में।

कृपया फोटो निर्वाचक नामावलियां अद्यतन करने हेतु 15 अप्रैल से 31 मई 2012 तक डोर टू डोर सर्वे कराने के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को सम्बोधित निर्देश अपने पत्र क्रमांक एफ-19-40/2012/1/4 दिनांक 12 अप्रैल 2012 (छाया प्रति संलग्न) जारी किये हैं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ-19-40/2012/1/4 दिनांक 12 अप्रैल 2012 (छाया प्रति संलग्न) जो समस्त विभागाध्यक्ष को सम्बोधित है, जारी कर समस्त विभागों को इस सर्वे में अपना सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

कृपया अनुरोध है कि उक्त निर्देशों की प्रतियां अपने स्तर से भी सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा 15 अप्रैल से 31 मई 2012 तक डोर टू डोर सर्वे का लक्ष्य प्राप्त करते हुए सफल बनायें।

(एस.एस. बंसल) 17.4.12

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 1/2013/3/2583
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 17-4-2012

1. सम्भागायुक्त (समस्त), म.प्र. सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निज सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस.एस. बंसल) 17.4.12

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 19-40/2012/1/4,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल, 2012

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय:-फोटो निर्वाचक नामावलियां अद्यतन करने हेतु डोर-टू-डोर सर्वे दिनांक 15 अप्रैल से 31 मई 2012.

—0—

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 15 अप्रैल 2012 से 31 मई, 2012 तक डोर टू डोर अभियान चलाये जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अनुसार डी एल ओ घर-घर जाकर मतदाता सूची की जांच करेगा। इस दौरान छूट हुए पात्र मतदाताओं को जोड़ने की कार्यवाही हेतु आवेदन प्राप्त करेगा। संशोधन एवं निरसन के आवेदन तथा अपात्र मतदाताओं को भी चिन्हांकित करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही 01.01.2013 पर 18 वर्ष पूर्ण करने वाले आमजनों की भी जानकारी ली जावेगी।

2/ मध्यप्रदेश राज्य में 01.01.2012 की अर्हता तिथि के अनुसार लगभग 40 लाख पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाना संभावित है। इसमें विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के लगभग 22 लाख पात्र मतदाताओं का नाम फोटो निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाना है।

3/ अतः आयोग द्वारा निर्धारित डोर-टू-डोर अभियान के माध्यम से पात्र मतदाताओं को फोटो निर्वाचक नामावली में शामिल कराकर पंजीकरण के लक्ष्य को अनिवार्यतः पूर्ण कराने में अपने विभाग से उचित सहयोग प्रदान करने की अपील है।

(विजया श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.